

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ 10(6)ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010

जयपुर, दिनांक : 17 SEP 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प-1(4) वित्त/नियम/2011 दिनांक 29.04.2011 एवं 17.06.2011 द्वारा संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। साथ ही वित्त विभाग द्वारा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत पदों की ही समयवृद्धि 28.02.2017 तक बढ़ाये जाने के साथ ही योजना के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन साथ ही कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उक्त ओदशों में शिथिलता प्रदान करते हुये 550 कनिष्ठ तकनीकी सहायक महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 28.02.2017 तक वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्देशानुसार संविदा पर लिये जाने की सहमति निम्न शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है-

1. विभाग वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक संविदा पर रखेगा।
2. विभाग प्रशासनिक व्यय निर्धारित सीमा में किया जाना सुनिश्चित करेगा।
3. भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 21.08.2014 में दी गयी संलग्न शर्त संख्या-3(bvc) की पूर्ण पालना करेगा।


भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 21.08.2014 में दी गयी संलग्न शर्त संख्या-3(bvc) अनुसार तकनीकी सहायकों को कुशल कामगारों के रूप में सामग्री मद की अलग से 1 प्रतिशत निर्धारित राशि से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। इस हेतु कार्यों के तकमीने में पृथक से प्रावधान किया जाना है।

संलग्न परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 5 के अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को संविदा पर भरने की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के अनुसार प्रदान की जाती हैं। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित करें कि जिले में स्वीकृत पदों से अधिक किसी भी परिस्थिति में कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यरत ना हो। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पद को केवल सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्री या डिप्लोमाधारी तथा कृषि ईजीनियरिंग में बीई या बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से ही पूर्ण पारदर्शिता से भरा जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप क्रमांक 101602922 दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय


(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।


अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

